# कार्यालय जिलाधिकारी, लखनऊ

संख्या–1346/एडीएम–टीजी–कोविड–19 अनु0/2022 दिनॉक जनवरी 06 ,2022

## आदेश

मुख्य सचिव, उ0प्र0 शासन के पत्र संख्या–15/2022–सीएक्स–3 गृह(गोपन) अनुभाग–3 दिनॉक 04 जनवरी, 2022 के द्वारा दिये गये दिशा–निर्देश के अनुपालन में वर्तमान में कोरोना के बढ़ते संक्रमण को दृष्टिगत रखते हुए तथा महामारी अधिनियम–1897 में दी गयी शक्तियों का प्रयोग करते हुए निम्नवत दिशा–निर्देश निर्गत किए जाते हैं, जो दिनॉक 06.01.2022 से लागू होंगे :–

1– जनपद में स्थापित पी0ए0 सिस्टम के माध्यम से कोविड–19 से बचाव एवं सुरक्षा विषयक मानकों/सुझाावों के साथ–साथ कोविड वैक्सीनेशन के सम्बन्ध में प्रभावी प्रचार–प्रसार कराया जाये। यह भी सुनिश्चित कराया जाए कि सभी पी0ए0 सिस्टम सदैव कियाशील रहें व प्रचार–प्रसार के प्रयासों को और अधिक सशक्त किया जाये।

2– 15 वर्ष से 18 वर्ष की आयु के बच्चों के कोविड टीकाकरण को और अधिक गतिशील बनाने हेतु अस्पतालों के अलावा अन्य स्थानों जैसे कि स्कूल, कालेज इत्यादि का भी उपयोग किया जाये।

3– सोशल डस्टेन्सिंग का प्रभावी पालन कराने हेतु राशन की दुकान व अन्य दुकानों में दो गज की दूरी रखते हुए स्थानों पर गोले बनाकर चिन्हांकन किया जाए ताकि दुकानों पर उपस्थित व्यक्तियों में उचित दूरी बनी रहे।

4– स्थानीय मण्डियों/साप्ताहिक मार्केट को इस प्रकार संचालित किए जाए जिससे वहॉ फुटकर विक्री आदि के कारण भीड़–भाड़ न हो सके एवं नियंत्रित तरीके से कार्य हो सके। यदि आवश्यक हो तो ऐसी मण्डियों/मार्केट को भीड़–भाड़ वाले स्थानों से दूर अथवा अन्य खुले स्थानों पर कोविड प्रोटोकाल के नियमों का पालन करते हुए स्थानान्तरित किए जाए। अलग–अलग दुकानों को अलग–अलग समय पर खोला जाये जिससे एक ही समय में अधिक व्यक्ति एकत्रित न होने पाएं और सोशल डिस्टेन्सिंग का पालन सुनिश्चित किया जा सके। सभी प्रमुख मण्डियों में प्रातः 04:00 बजे से 08:00 बजे के बीच ट्रकों की आवाजाही निर्बाध रूप से करायी जाए। अपने कार्य क्षेत्र में सम्बन्धित अपर जिला मजिस्ट्रेट/अपर पुलिस उपायुक्त एवं अपर नगर मजिस्ट्रेट/सहायक पुलिस आयुक्त व उप जिला मजिस्ट्रेट/क्षेत्राधिकारी प्रातः 04:00 बजे से प्रातः 08:00 बजे के मध्य संयुक्त रूप से निरीक्षण करें कि उक्त व्यवस्था समुचित रूप से चलती रहे।

5– दुकानों/रेस्टॉरेन्ट/होटल के रेस्टॉरेन्ट एवं इटिंग ज्वाइंट्स के द्वार पर पण्ल्स ऑक्सीमीटर, इन्फारेड थर्मामीटर तथा सेनेटाइजर के साथ कोविड हेल्प डेस्क स्थापित किया जाए तथा मास्क नहीं तो सामान नहीं का अनुपालन कराने हेतु व्यापार मण्डल से समन्वय स्थापित कर अनुसरण किया जाये।

चूँकि जनपद, लखनऊ में 1000 से अधिक एक्टिव केस हो चुके हैं। ऐसी स्थिति में जनपद स्तर पर कोरोना के संक्रमण के दृष्टिगत ग्रेडेड रिस्पान्स हेतु निम्न निर्देश दिये जाते हैं :–

(i) धार्मिक संस्थाओं एवं धार्मिक स्थानों पर कोविड हेल्प डेस्क स्थापित कर एवं मास्क का प्रयोग सुनिश्चित कराया जाये।

(ii) पुरातत्व विभाग के स्मारक, वन्य प्राणि उद्यान (चिड़ियाघर) एवं क्लब में कोविड हेल्प डेस्क स्थापित कर स्कीनिंग की व्यवस्था एवं मास्क का प्रयोग सुनिश्चित कराया जाये।

(iii) स्वीमिंग पूल/वाटर पार्क एवं जिम बन्द रहेंगे।

(iv) रेस्टॉरेन्ट/होटल के रेस्टॉरेन्ट/फूड ज्वाइंट्स एवं सिनेमा हॉल 50 प्रतिशत की क्षमता के साथ संचालित होंगे। इनमें भी कोविड हेल्प डेस्क स्थापित कर स्कीनिंग की व्यवस्था एवं मास्क का प्रयोग सुनिश्चित कराया जाये।

(v) कक्षा–10 तक के सभी शैक्षणिक संस्थान दिनॉक 06.01.2022 से 14.01.2022 तक बन्द रहेंगे।

(vi) 15 वर्ष से 18 वर्ष के छात्रों को वैक्सीन लगने पर 02 दिन का अवकाश दिया जाये।

(vii) रात्रि कालीन कर्फ्यू रात्रि 10:00 बजे से प्रातः 06:00 बजे तक लागू रहेगा।

(viii) IT एवं ITES से सम्बन्धित निजी कम्पनियॉ वर्क फ्राम होम की व्यवस्था को लागू करना प्रोत्साहित करेंगी।

(ix) शादी समारोह व अन्य आयोजनों में व्यक्तियों की उपस्थिति निम्नवत शर्तों/प्रतिबन्धों के अनुसार रहेगी :–

(a) बन्द स्थानों पर एक समय में अधिकतम 100 से अनधिक आमंत्रित अतिथियों को मास्क की अनिवार्यता, दो गज की दूरी, सेनेटाइजर का उपयोग एवं कोविड–19 प्रोटोकाल के अनुसार अन्य सावधानियों के साथ अनुमति होगी। कोविड हेल्पडेस्क की स्थापना प्रवेश द्वार पर की जायेगी।

(b) खुले स्थानों पर एक समय में ग्राउण्ड की क्षमता के 50 प्रतिशत तक आमंत्रित अतिथ्यिों को मास्क की अनिवार्यता, दो गज की दूरी, सेनेटाइजर का उपयोग एवं कोविड–19 प्रोटोकाल के अनुसार अन्य सावधानियों के साथ अनुमति होगी। कोविड हेल्पडेस्क की स्थापना प्रवेश द्वार पर की जायेगी।

उपरोक्त दिशा–निर्देशों का कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित कराया जाये।

6/11/2021

**(अभिषेक प्रकाश)**
**जिला मजिस्ट्रेट,**
**लखनऊ।**

प्रतिलिपि : निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु।

1– आयुक्त महोदय, लखनऊ मण्डल, लखनऊ को सूचनार्थ।
2– पुलिस आयुक्त, लखनऊ
3– उपाध्यक्ष, ल0वि0प्रा0, लखनऊ
4– मुख्य विकास अधिकारी, लखनऊ।
5– नगर आयुक्त, लखनऊ
6– समस्त अपर जिला मजिस्ट्रेट, लखनऊ।
7– समस्त पुलिस उपायुक्त/अपर पुलिस उपायुक्त, लखनऊ
8– नगर मजिस्ट्रेट/समस्त अपर नगर मजिस्ट्रेट, लखनऊ
9– समस्त उप जिला मजिस्ट्रेट/सहायक पुलिस आयुक्त, लखनऊ
10– मुख्य चिकित्साधिकारी/अपर मुख्य चिकित्साधिकारी/एम0ओ0आई0सी0, लखनऊ
11– जिला विद्यालय निरीक्षक/बेसिक शिक्षा अधिकारी, लखनऊ
12– अभिहित अधिकारी, खाद्य सुरक्षा एवं औषधि प्रशासन, लखनऊ
13– क्षेत्रीय पर्यटन अधिकारी, लखनऊ
14– सहायक आयुक्त, वाणिज्यकर/मनोरंजनकर, लखनऊ
15– समस्त थानाध्यक्ष, लखनऊ
16– समस्त व्यापार संगठन, लखनऊ
17– उप निदेशक, सूचना, लखनऊ को पॉच प्रतियों में सभी स्थानीय समाचार पत्रों में निःशुल्क प्रकाशनार्थ एवं अन्य सूचना माध्यमों से व्यापाक प्रचार–प्रसार हेतु।

**जिला मजिस्ट्रेट,**
**लखनऊ।**